भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

भारत और फ्रांस की सरकारों ने भारत-फ्रांस दोहरे कराधान परिहार अभिसमय में संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

फ्रांस के राष्ट्रपति की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान, भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार ने 29 सितंबर, 1992 को हस्ताक्षरित भारत-फ्रांस दोहरे कराधान परिहार अभिसमय ('भारत-फ्रांस डीटीएसी') में संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि अग्रवाल और संबंधित सरकार की ओर से भारत में फ्रांस के राजदूत श्री थियरी माथौ ने हस्ताक्षर किए।

2. संशोधनकारी प्रोटोकॉल कंपनी के शेयरों के विक्रय से होने वाले पूंजीगत लाभ पर पूर्ण कराधान अधिकार उस क्षेत्राधिकार को प्रदान करता है, जहां कंपनी निवासी है। संशोधनकारी प्रोटोकॉल डीटीएसी के प्रोटोकॉल से

तथाकथित परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) खंड को भी हटाता है, जिससे इससे संबंधित सभी मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। संशोधनकारी प्रोटोकॉल लाभांश से होने वाली आय पर कराधान को भी उपांतरित करता है, जिसके तहत 10% की एकसमान कर दर को उन लोगों के लिए 5% की विभाजित कर दर से प्रतिस्थापित किया गया है, जिनके पास कम से कम 10% पूंजी है और अन्य सभी मामलों के लिए 15% की कर दर है। यह 'तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क' की परिभाषा को भी भारत-अमेरिका दोहरे कराधान परिहार समझौते में दी गई परिभाषा के अनुरूप करके उपांतरित करता है और सेवा पीई को जोड़कर 'स्थायी प्रतिष्ठान' के दायरे का विस्तार करता है।

3. संशोधनकारी प्रोटोकॉल में सूचना के आदान-प्रदान संबंधी प्रावधानों को भी अद्यतन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कर संग्रहण में सहायता संबंधी एक नया अनुच्छेद पुर:स्थापित किया गया है। इससे भारत और फ्रांस के बीच सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम और सुगम बनाया जा सकेगा तथा पारस्परिक कर सहयोग सुदृढ़ होगा। संशोधनकारी प्रोटोकॉल में डीटीएसी के अंतर्गत बीईपीएस बहुपक्षीय उपकरण (एमएलआई) के लागू प्रावधानों को भी शामिल किया गया है, जो भारत और फ्रांस द्वारा एमएलआई पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप पहले ही लागू हो चुके थे।

4. संशोधनकारी प्रोटोकॉल के माध्यम से पुर:स्थापित किए गए परिवर्तन दोनों देशों के कानूनों के तहत आंतरिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद और दोनों देशों के बीच सहमत शर्तों के अधीन प्रभावी होंगे।

5. संशोधनकारी प्रोटोकॉल भारत-फ्रांस डीटीएसी को नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अद्यतन करता है, जिससे भारत और फ्रांस दोनों के हितों में संतुलन बना रहे और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन किया गया है। संशोधनकारी प्रोटोकॉल करदाताओं को अधिक कर निश्चितता प्रदान करेगा तथा भारत और फ्रांस के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और कार्मिकों के प्रवाह को बढ़ावा देगा और जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

(वी. रजिथा)

आयकर आयुक्त

(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी